न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 55/2013

1 भोलाराम पुत्र पीथाराम जाति कुमावत निवासी ढ़ाणी महरावाली तन सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2 मंगला पुत्र पीथाराम।
3 पूर्णमल पुत्र सुवालाल।
4 महेश पुत्र सुवालाल।
5 मनोहर पुत्र सुवालाल।
7 ग्यारसी देवी पत्नी सुवालाल समस्त जाति कुमावत निवासीगण रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सुरजाराम पुत्र महादेव जाति कुमावत निवासी रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2 चौथमल पुत्र सुवालाल।
3 केशरमल पुत्र सुवालाल।
4 रूकमा देवी पुत्री सुवालाल।
5 फूली देवी पुत्री सुवालाल समस्त जाति कुमावत निवासीगण पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
6 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
7 उप पंजियक श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
8 पटवारी हल्का रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय एवं आदेश दिनांक 22.04.2013 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर मुकदमा नम्बर 164/2010 बउनवानी सुरजाराम बनाम भोलाराम आदि

उपस्थिति :

1. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 15.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुरा द्वारा मुकदमा नम्बर 164/2010 में पारित निर्णय दिनांक 22.04.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी ने एक वाद मय आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही पूर्वज के वंशज है। ग्राम रींगस में वर्तमान खसरा नम्बर 3379 से 3381,3398,3401,3401/5926 व 3404 का विधिक बंटवारा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 के मध्य नहीं हुआ है। अप्रार्थीगण ने फर्जी तरीके से भूमियों की खातेदारी अवैध रूप से बिना प्रार्थी/वादी की जानकारी के अलग—अलग दर्ज करा दी। प्रार्थी/वादी के नाम खसरा नम्बर 3380,3401 व 3401/5926 अर्थात 0.27 हैक्टेयर भूमि व अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 ने खसरा नम्बर 3379,3398 व 3404 कुल किता 3 कुल रकबा 0.77 हैक्टेयर की खातेदारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

स्वंय के नाम दर्ज करवा ली। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में तामील कुनिन्दा से साजकर इंकारी की झुठी रिपोर्ट तामील करवाकर विचारण न्यायालय में पेश की। जिस रिपोर्ट में कोई तिथि अंकित नहीं है कि किस दिन तामील कुनिन्दा अप्रार्थीगण के घर गया। अप्रार्थी संख्या 1/अपीलांट संख्या 1 अपने परिवार सहित ढ़ाणी महरावाली तन सरगोठ में आवास निवास करता है तथा रींगस में नही रहता है। प्रार्थी ने गलत पता देकर तामील की झुठी रिपोर्ट इंकारी से करवाई गई है। विचारण न्यायालय ने सीपीसी के प्रावधानो की पालना नही की गई है तथा केवल खानापूर्ति कर आदेश दिनांक 02.04.2013 को एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दिया। रेस्पोडेंट को नाजायज फायदा पहुचाने के लिये नोटिस जारी नही किये। प्रकरण अतिआवश्यक प्रकृति का होता तो नोटिस दिनांक 02.04.2013 को ही जारी करने चाहिए थे परन्तु विचारण न्यायालय ने दिनांक 17.04.2013 को नोटिस तामील हेतु जारी किये गये है। विचारण न्यायालय ने इन्कारी से तामील मानते हुये दिनांक 22. 04.2013 को एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक सिद्वान्त के विपरित होने के कारण अपास्त किया जावें।

राजकीय विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि के सन्दर्भ में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन किया गया है। पक्षकारों के हितो का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त होना है। इससे पूर्व पक्षकारो में वाद बाहुल्यता नही हो एवं विवादित भूमि खुर्द बुर्द नही हो। इसे दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय ने विचाराधीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय से विवादित भूमि के सन्दर्भ में ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर